

प्रेषक,

एचओपी० सिंह

विशेष सचिव

5040 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,
5040, लखनऊ।नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 3) जुलाई, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मण्डिन बस्तियों में आसरा योजनान्तर्गत रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1404/188/10/उः/विविध/आसरा/तकनीकी (अमरोहा-गजरौल-36) दिनांक 08 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मण्डिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 में निपटनियित तालिका में उल्लिखित जनपद-अमरोहा की निकाय-गजरौला की 15 रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना हेतु रु0 76.84 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि 38.42 लाख (स्वयं अड्टीस लाख बयालिस हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निपटनियित शर्तों/प्रतिवर्णों के अधीन सहृदय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ८० में)

फ्र०	जनपद/ निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	परियोजना की कुल अवस्थापना सुविधाओं रहित कुल आवासीय लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों सुविधाओं रहित आवासों की गंद्या।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों परियोजना की अवस्थापना सुविधाओं सहित कुल आवासीय लागत।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने याती धनराशि (सेन्टरेज गार्डेज एवं लेबर सेस सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	अमरोहा/ गजरौला	16	184.45	15	76.84	38.42
योग				15	76.84	38.42

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 शितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुरिस्तका खण्ड-6 के अन्त्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सकल स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सकल स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3. प्रायोजनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानविकों के आदरशकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अशारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आदरशक मैथिलिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय विलयरेस्स प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उपर घनराशि शासन/प्रायोजनों रचना एवं भूम्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय सम्बन्ध समिति द्वारा विधीरित शर्तों/प्रतिवेदनों के अधीन उपग्रुक्तानुसार निहित ग्रन्थ में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में अनुकूलता दीरकल, मानविक एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
5. उपर घनराशि जिस कार्य/ग्रन्थ में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/ग्रन्थ में विद्या जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमत्य नहीं होगा।
6. सूडा/दूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य ऐतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से घनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सञ्चिलित है। उक्त स्वीकृत घनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरायति/पुनरायति न हो इसे सूडा/दूड़ा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ावा, कार्यों के अंतर्कार/बीचफाल में वृद्धि एवं अन्य विशेषियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये विला नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समित द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति विनियत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/इंजीनियरिंग बनाते रामण प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अविवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-रीट आवासों के भू-रक्खानियों के भू-स्वामित्व का संत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूडा/दूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसारा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानवीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त घनराशि बैंक के भार्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान व सम्बन्धित दूड़ा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परियोजनाओं का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित व्यापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित दूड़ा/उनके गाँध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उच्चानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
11. उपर घनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, डॉप्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिनिःस्वाक्षरीपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सुचना महात्मेयाकार (राजकोष), महात्मेयाकार (लेखा), डॉप्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्राप्ति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संघ्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सुचना एक दर्जे के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत घनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/आकाश/डिपागिट खाते व पीएल०८० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही घनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। परन्तु आहरण/भूगतान के पूर्व ग्रामीणेयम केल्ड व राज्य के कर्तृ व लोकों की कल्पीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिक्रियों के अनुपालन का व्याज रखा जायेगा।

14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनावत्तरागत प्रथम किश्त के रूप में स्थीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष आंतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की अवशेष/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। निर्धारित मर्यादि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को यापरा करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर आपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था घनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एच०पी०य०) निष्पादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित दूड़ा को निर्देशित किया जायेगा।
17. स्थीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसुचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पटक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृद्ध निर्माण कार्य।" के तामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय नाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

वित्तीय
प्रधान
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।*

संख्या-//2015/1739(1)/69-1-15, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित ओ सूचनाये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कदारी), प्रथम, 30प्र०,20 सरोजली नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निर्णय लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुख्य कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, अमरोहा।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुग्राम-8, 30प्र० शासन।
6. नियोजन अनुग्राम-4, 30प्र० शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र०, शासन।
8. मुद्रा कोषाधिकारी, जयाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट सम्बन्धियक।

आजा से,

(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।